मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 5-1/2014/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- सामान्य भविष्य निधि लेखों में ऋणात्मक शेष के संबंध में ।

संदर्भ :- म.प्र. शासन वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2014/नियम/चार दिनांक 5.11.2020

उपर्युक्त विषयांकित एवं संदर्भित परिपत्र में उल्लेख किया गया था कि "कृपया समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें कि व्यक्तिगत रूचि लेकर सामान्य भविष्य निधि में पाये गये ऋणात्मक शेष के दिनांक 31 मार्च 2020 तक के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाकर, की गयी कार्यवाही से दिनांक 30.11.2020 तक अवगत करावें" ।

उपरोक्त निर्देश के अनुक्रम में वांछित विवरण प्राप्त नहीं होने से वरि.उप महालेखाकार (निधि) द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 178 दिनांक 17 सितम्बर 2021 से पुनः लेख किया है । वरि.उप महालेखाकार (निधि) द्वारा किये गये लेख के अनुक्रम में अनुरोध है कि ऋणात्मक शेष के लेखाओं के समाशोधन एवं उनके धनात्मक होने तक उनसे आहरण की स्वीकृति प्रतिबंधित करने, अंतिम भुगतान प्रकरण सेवानिवृत्ति दिनांक से 4 माह पूर्व प्रेषित करने तथा डेबिट की संस्वीकृतियां नियमानुसार महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने की कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित एवं प्रतिवेदन कार्यालय महालेखाकार को भेजनें हेतु अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध है ।

(पी.के. श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रमांक : एफ 5-1/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2022

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल, के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट/ ½) मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
6. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
8. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
10. समस्त संभागीय संयुक्त् संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
11. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाखा, मध्यप्रदेश
12. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
13. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
14. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
15. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
16. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अधिकारी (स्थायी सूची अनुसार)
17. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग